

तीस हजार रुपये की रिश्त लेते एसआई गिरफ्तार

नागौर/जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसबीओ) की नागौर टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना पादकुलां जिला नागौर में तैनात सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुखराम को तीस हजार रुपये की रिश्त लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसबी नागौर टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि पुलिस थाना पादकुलां में दर्ज प्रकरण में मूलजिम को गिरफ्तार करने एवं परिवारी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण में परिवारी को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में पुलिस थाना पादकुलां का सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एसएसआई) सुखराम पचास हजार रुपये की रिश्त की मांग कर रहा है, जिस पर एसबी की टीम ने रिश्त मांग सत्यापन करवाया गया, जिसमें सहायक पुलिस उप निरीक्षक (एसएसआई) सुखराम को बीर से पचास हजार रुपये रिश्त की मांग कर परिवारी के ज्यादा जोर देने पर रिश्त राशि इस्का ज्वादा अनुसार देना तय किया गया। इस पर एसबी टीम नागौर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंका के नेतृत्व में टैप की कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस उप निरीक्षक सुखराम को तीस हजार रुपये की रिश्त लेते गिरफ्तार किया गया है।

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, करौली

क्रमांक-लेखा/निविदा/2025/1356

दिनांक-26.09.2025

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2025-26

राजस्व न्यायालयों में RRCMS प्रोजेक्ट लागू किया जाने हेतु जिला करौली के प्रत्येक राजस्व न्यायालय (जिला कलक्टर, अति. जिला कलक्टर, सहायक कलक्टर, उपसह्य अधिकारी) हेतु हाईड्रेटर प्रप्य करने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता/निविदा/योग्य किराये/अधिकृत डीटर/विपनन एजेंट फर्मों से अनुमानित राशि 21.00 लाख रुपये की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र, विस्तृत सूचना एवं शर्त आदि का विवरण राजस्थान लोक उपग्राम पोर्टल <https://sppp.raajasthan.nic.in>, <https://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा व डाउनलोड की जा सकती है।

UBN NO.- CKL2526GLOB00012

DIPRC/14739/2025

अतिरिक्त जिला कलक्टर, कलेक्ट्रेट करौली

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

Near Collector Office, Bikaner (Rajasthan) Fax:- 91-151-2226012, Phone:-91-151-2226012, 91-151-2226013

E-Mail Address:- uitbikaner@yahoo.co.in Web Site:- urban.raajasthan.gov.in/uitbikaner

क्रमांक - बीकाने/बीकाने/अ.अति/2025-26/6534

दिनांक - 03/10/2025

ई - बिड सूचना संख्या 38/2025-26

बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर की ओर से अधिल भारतीय स्तर, न्यास एवं राजकीय विभागों में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विद्युत कार्य हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बंधे जाने प्राप्त करने व खोलने की दिनांक एवं निविदा शर्तों आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in, www.sppp.raajasthan.gov.in व www.urban.raajasthan.gov.in/uitbikaner पर देखा जा सकता है।

UBN No.- ITB2526WSOB00256

राज.संवाद/सी/25/11774

अधिशासी अधिकृत (विद्युत)

कृषि महाविद्यालय, लालसोट (दौसा)

(बी कर्ष कलेक्ट कृषि विद्याविद्यालय, लालसोट)

क्रमांक :- काप्र/इलाहा/2025/693

दिनांक :- 08/10/2025

खुली निविदा सूचना

इस महाविद्यालय में फार्म के लिए सहायक उपकरणों सहित मोटर पम्प सेट, बोरेवेल खुदाई एवं भूमिगत सिंचाई प्रणाली कार्य हेतु दिनांक 15.10.2025 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदाएं आमंत्रित एवं उसी दिन 1.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी प्रति निविदा इस महाविद्यालय से पांच सौ रु. जमा करके प्राप्त की जा सकती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण विद्याविद्यालय एवं राज्य सरकार की वेबसाइट पर देखा जा सकती हैं। इन निविदाओं का UBN No. SKN2526WSOB00251 है।

का.संवाद/सी/25/11777

अधिष्ठाता

Rajasthan State Forest Development Corporation Limited

(A Government of Rajasthan Undertaking) Badapal Road, GFC Colony, Suratgarh,

Phone No: 01509-223232, Email: gmsuratgarh@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफडी(9)स्टेट/राज/राजस्थान/2025-26/1133

दिनांक :- 06/10/2025

CORRIGENDUM-1

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय की ई-बोली आमन्त्रण सूचना 2/2025-26 क्रमांक 1102-1107 दिनांक 29.09.2025 को प्रकाशित की गयी थी जिसकी Percentage BOQ के SLNo. 3.01 के कॉलम संख्या 02 में “जलाक लकड़ी गीली” के स्थान पर “बिना छाल उताकर” पड़ा जाये।। शेष बोली की शर्त एवं समय यथावत रहेंगे।

NIB No. FOR2526A1760

UBN No. FOR2526VWLOB02321

राजस्थान राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

केदार कालोवन, सुदामगढ़

का.संवाद/सी/25/11781

अधिशासी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका लोसल (सीकर)

क्रमांक :- न. पा. लो./2025-26/2481

दिनांक :- 07.10.2025

ई-निविदा सूचना 04/2024-25

नगरपालिका मण्डल लोसल द्वारा वार्षिक कार्यों के अन्तर्गत कार्य करवाये जाने हेतु सक्षम पंजीकृत संवेदको से तकनीकी व वित्तीय (दो लिफाफा पद्धति) द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑन लाईन निविदायें दिनांक 10.10.2025 से 27.10.2025 तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की शर्तें <http://eproc.raajasthan.gov.in> व <http://sppp.raj.nic.in> तथा पालिका कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को देखा जा सकती है। जिसके एन.आई.बी कोड – DLB2526A6896 व यु.बी.एन. नम्बर निम्नानुसार है:-

UBN No. - DLB2526SLOB20899, DLB2526SLOB20900, DLB2526SLOB20901, DLB2526SLOB20902, DLB2526SLOB20904, DLB2526SLOB20908, DLB2526SLOB20905, DLB2526SLOB20911

अधिशासी अधिकारी

राज.संवाद/सी/25/11746

नगरपालिका लोसल

कार्यालय नगर परिषद सुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान

E-mail ids:- nps222419@gmail.com

Phone no. 01568-222419

क्रमांक :-न.प.सु/विकास/2025/6849

दिनांक :- 07.10.2025

निविदा सूचना – 2025

नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/ फर्मस से निविदा दिनांक 17.10.2025 को 12.00 बजे तक विद्युत की जाकर 1.00 बजे तक प्राप्त कर तथा दिनांक 22.10.2025 को सायं 5.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जायेगी।। उक्त निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक :- DLB2526GLOB20860 कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद सुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

आयुक्त

नगर परिषद सुजानगढ़

उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2025-26/168 - 170

Date :- 07/10/2025

ई-निविदा सूचना संख्या: 47/2025-26

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यों मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेंडरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यों की कुल लागत

रुपये 519.61 लाख (10 करोड़)

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड/

09.10.2025 को प्रातः 10.00 बजे से

अपलोड करने की अवधि

27.10.2025 को सांं: 6.00 बजे तक

Online EMD, Tender Fee & Processing

09.10.2025 को प्रातः 10.00 बजे से

फै जमा कराने की तिथि

27.10.2025 को सांं: 6.00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि

28.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाइट urban.raajasthan.gov.in/uitdaipur, www.eproc.raajasthan.gov.in व www.sppp.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

UBN No. :- ITU2526WSOB00293 To ITU2526WSOB00302

अधिशासी अधिकृत - द्वितीय

का.संवाद/सी/25/11771

उदयपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालय नगर परिषद प्रतापगढ़, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक :-न.प.प्र./स्टेट/2025/8577

दिनांक: 04.10.2025

ई टेंडरिंग निविदा सूचना संख्या:- 20/2025-26

नगर परिषद द्वारा राजस्थान सरकार के एवं केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार व उनके अधिकृत संगठनों में पंजीकृत संवेदको एवं अन्य समक्ष इच्छुक संगठन जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदको के समक्ष हो उनसे निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्चरमें प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदायें दू. बिड प्रणाली अन्तर्गत आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बंधित विवरण इंटरनेट साईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

निविदा में कुल कार्य

3

निविदा की कुल लागत

49.64 लाख

ऑनलाईन निविदा फॉर्म मिलने की दिनांक

दिनांक 05.10.2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 15.10.2025 सांय 5.00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा फॉर्म जमा करने की दिनांक

दि. 15.10.2025 प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक

निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंक चेक कार्यालय में भौतिक रूप से जमा करवाने की दिनांक

दि. 16.10.2025 प्रातः 10:00 बजे से सायः 12.00 बजे तक

ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक

दि. 17.10.2025 प्रातः 11:00 बजे

ऑनलाईन फाईनल निविदा खोलने की दिनांक

दि. तकनीकी उपराप्त प्रातः 11.00 बजे

निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण वेब साईट <http://sppp.raajasthan.gov.in/tender.asp> तथा <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

ईच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

UBN NO. DLB2526WSOB20856, 20862, 20868

समपति

आयुक्त

नगर परिषद प्रतापगढ़ (राज.)

राज.संवाद/सी/26/11799

नगर परिषद प्रतापगढ़ (राज.)

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN No: U40109RJ20005GC016486

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN No: U40109RJ20005GC016482

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN No: U40109RJ20005GC016483

वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु:-
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए अपने आदेश दिनांक 03.10.2025 के द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश जारी कर दिया है। नया आदेश, दिनांक 01.10.2025 से प्रभावी होगा। विस्तृत वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ आदेश निम्नो की वेबसाइट <https://energy.raajasthan.gov.in/jvvn>, <https://energy.raajasthan.gov.in/avvn>, <https://energy.raajasthan.gov.in/dvvn> एवं माननीय आरईआरसी की वेबसाइट <https://trec.raajasthan.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
टैरिफ आदेश के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है:-
> माननीय आरईआरसी का उद्देश्य एक लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ स्थापित करना है जो बिजली वितरण कि लागत को सटीक रूप से दर्शाता हो और एक निष्पक्ष एवं समतापूर्ण मूल्य निर्धारण संरचना सुनिश्चित करे। टैरिफ संरचना उपभोक्ताओं और डिस्कॉम दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित और न्यायोचित होनी चाहिए। माननीय आरईआरसी ने ईवी और ट्रैक्शन टैरिफ श्रेणी को छोड़कर अन्य श्रेणियों के लिए ऊर्जा शुल्क एवं स्थाई शुल्क में संशोधन को मंजूरी दी है।
> सभी श्रेणियों के ऊर्जा शुल्क कम कर दिए गए हैं। 150 यूनिट तक मासिक खपत वाले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भी स्थाई शुल्क कम कर दिए हैं।
> कृषि मोटर वाले उपभोक्ताओं का राहत और सहायता प्रदान करने के लिए कृषि श्रेणी के लिए टैरिफ दरों को कम कर दिया गया है।
> विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2023 के प्रावधानों के मद्देनजर, माननीय आरईआरसी ने कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, 10 किलोवाट (10kW) से अधिक कनेक्टेड लोड वाले सभी उपभोक्ताओं पर टीओडी (TOD) टैरिफ को मंजूरी दी है।
> एमआईटी और एलआईटी श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क में उल्लेखनीय कमी की गई है। इसे ध्यान में रखते हुए नए एचटी उद्योग के लिए मौजूदा छूट और वृद्धिशील उपभोग छूट में भी संशोधन किया गया है।
> ग्रीन पावर टैरिफ को 0.21 रुपये/किलोवाट घंटा (Rs.0.21/kWh) से घटाकर 0.05 रुपये/किलोवाट घंटा (Rs.0.05/kWh) कर दिया गया है, जो कि वर्तमान टैरिफ आदेश के अनुसार संबंधित श्रेणी के सामान्य टैरिफ के अतिरिक्त है। यह शुल्क डिस्कॉम से ग्रीन पावर विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा।
> वित्त वर्ष 2025-26 के इस टैरिफ अंदर में खीसिंग शुल्क और क्रॉस-सब्सिडी शुल्क कम कर दिए गए हैं।
> वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एचटी सीपीपी (Co-located) उपभोक्ताओं पर समानांतर संचालन शुल्क (POC) स्वीकृत किया गया है।
> टैरिफ विनियम, 2025 के विनियम 91 के प्रावधानों के मद्देनजर, आयोग ने विनियमक अधिभार लगाने को मंजूरी दे दी है। और किसी भी टैरिफ आधारित से बचाव के लिए इसे एकपीपीएस, जो आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाता है, के साथ जोड़ दिया गया है। जो कि 100 यूनिट तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 0.70 रुपये/यूनिट और अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1.00 रुपये/यूनिट है।

वर्ष 2025-26 के लिये अनुमोदित टैरिफ

घरेलू श्रेणी (एल.टी-1 एवं एच.टी-1)					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
विशिष्टियाँ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	विशिष्टियाँ	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू *			बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू *		
प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	150 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	150 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
* नोट : बीपीएल और आस्था कार्ड धारक की घरेलू टैरिफ एकल उपभोक्ता पर ही लागू होगी और यह किसी संस्था पर लागू नहीं होगी। यदि बीपीएल, आस्था कार्ड धारक और लघु घरेलू उपभोक्ता किसी बिलिंग बक में 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर उपभोग करते है तो उपभोक्ता पर घरेलू श्रेणी एलटी-1 के अनुरूप अतिरिक्त यूनिटों के उपभोग पर सम्बन्धित स्लेब लागू होगी।					
सामान्य घरेलू-1					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी		अनुमोदित टैरिफ	
मौजूदा टैरिफ		विशिष्टियाँ		अनुमोदित टैरिफ	
सामान्य घरेलू-1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)		सामान्य घरेलू-1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)		सामान्य घरेलू-1 (150 यूनिट प्रतिमाह तक उपभोग)	
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	250 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	150 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	

सामान्य घरेलू-2					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		सामान्य घरेलू-2 (300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	300 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	300 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रु प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रु प्रति यूनिट		(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू-3					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)		सामान्य घरेलू-3 (500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	400 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रु प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रु प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रु प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू-4					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		सामान्य घरेलू-4 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रु प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रु प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रु प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू-5					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-5 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		सामान्य घरेलू-5 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रु प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रु प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रु प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू-6					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-6 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		सामान्य घरेलू-6 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह	(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	4.75 रु प्रति यूनिट	500 रु प्रति कनेक्शन प्रतिमाह
(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.50 रु प्रति यूनिट		(ii) 50 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	6.00 रु प्रति यूनिट	
(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 300 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.35 रु प्रति यूनिट		(iii) 150 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.00 रु प्रति यूनिट	
(iv) 300 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट प्रतिमाह तक का उपभोग	7.65 रु प्रति यूनिट		(v) 500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग	7.50 रु प्रति यूनिट	
सामान्य घरेलू-7					
घरेलू श्रेणी		घरेलू श्रेणी			
मौजूदा टैरिफ		अनुमोदित टैरिफ			
सामान्य घरेलू-7 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)		सामान्य घरेलू-7 (500 यूनिट प्रतिमाह से ऊपर का उपभोग)			
ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार	ऊर्जा प्रभार	स्थायी प्रभार		
(i) प्रथम 50 यूनिट प्रतिमाह					